# न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

**पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.**

**राजस्व वाद संख्या 29 / 2025** **जीसीएमएस मु.न. 2025 / 64**

**अनवान**

**01— मृतक छोगा वल्द भीकाजी जाति मेघवाल निवासी डांगरा के कायम मुकाम व वारिसारान :—**

अ— सेजी पुत्री छोगाजी धर्मपत्नि मगारामजी जाति मेघवाल निवासी हाडेतर।

ब— बादली पुत्री छोगाजी धर्मपत्नि मफाराम जाति मेघवाल निवासी टिटोप।

स— सीता पुत्री छोगाजी धर्मपत्नि घमण्डारामजी जाति मेघवाल निवासी अरणाय तहसील सांचोर जिला जालोर।

**वादीयागण.......**

01— मृतवफी छोगा पुत्र भीका के कायम मुकाम व वारिसारान :—

अ— मृतक मनोज कुमार पुत्र बंशीलाल गोदपुत्र छोगाजी जाति मेघवाल निवासी डांगरा के कायम मुकाम व वारिसारानः—

अ—ए— ललीतादेवी बैवा मनोजकुमार जाति मेघवाल निवासी डांगरा ।

अ—बी— अजीत पुत्र मनोजकुमार (नाबालिंग) जरियें कुदरती वलिया माता ललीतादेवी पत्नि मनोज कुमार जाति मेघवाल निवासी डांगरा तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.) ।

02— व्यवस्थापक यूको बैंक शाखा सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर।

03— भूमिधारी तहसीलदार सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.) ।

**प्रतिवादीगण.........**

**दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अंतर्गत धारा 40, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955**

**तारीख रजुः— 22.04.2025**

उपस्थिति :—

1. श्री भगवती प्रसाद बालौत, श्री चेतन पुरोहित, सुरेश पुरोहित अधिवक्ता वादीया।
2. प्रतिवादीगण 1 से 2 बाद तामिल अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।
3. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

**—: निर्णय :—**

**दिनांकः— 01.08.2025**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:22 IST
Reason: SelfAttested

1. वादीयागण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 40, 88, 188 आर.टी.एक्ट [illegible] जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा डांगरा पटवार हल्का हरियाली तहसील सांचोर में वादीयागण [illegible] वादी संख्या 01(ए,बी) के बाप—दादाओं की पुश्तैनी भूमि पुराना खेत खसरा संख्या [illegible] जिसके नवीन खेत खसरा संख्या 127 रकबा 1.61 हैक्टर व पुराना खेत खसरा संख्या 32 रकबा 34 बीघा 06 बीस्वा जिसके नवीन खेत खसरा संख्या 232 रकबा 1.63 हैक्टर व अन्य खसरा नम्बर व ग्राम डांगरा (रावतसर) के पुराना खेत खसरा संख्या 470 रकबा 10 बीघा 02 बीस्व जिसके नवीन खेत खसरा संख्या 837 रकबा 1.63 हैक्टर जुमले रकबा 4.87 हैक्टर

जिला जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

के आयें हुयें है। उक्त आराजी वादीयांगण एवं प्रतिवादी संख्या 01(ए,बी) की पैतृक सम्पति है तथा मृतवफी छोगा की वंशावली निम्न प्रकार है :–

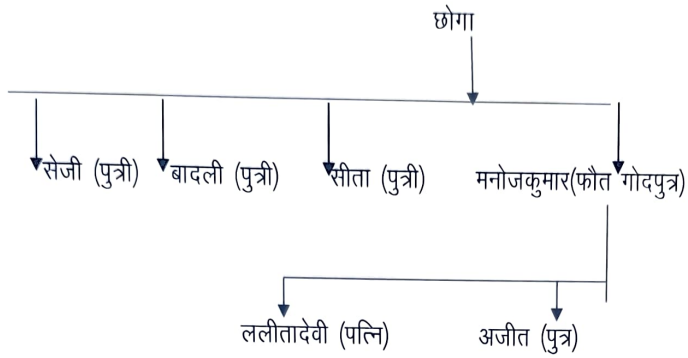


उपरोक्त वंशावली अनुसार उक्त आराजी वादीयांगण की पैतृक आराजी होने से उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीयांगण प्रत्येंक का बाय बर्थ 1/4–1/4 हिस्सा व हक निहित है किन्तु वादीयांगण के स्वर्गीय पिता छोगा के कोई जांयदा पुत्र नहीं होने से स्वर्गीय पिता छोगा ने उनके जीतेजी प्रतिवादी संख्या 01(ए,बी) के मृतवफी पति/पिता मनोजकुमार पुत्र बंशीलाल को गोदपुत्र लिया तब से घर में कर्ताधर्ता मृतवफी मनोजकुमार की जन्मदाता माता कांकूदेवी पत्नि बंशीलाल होने से तथा वादीयांगण ने मृतवफी मनोजकुमार की माता कांकूदेवी पर पूरा विश्वास कर लिया तथा हमारे स्वर्गीय पिता छोगा की मृत्यु उपरांत घर में कर्ताधर्ता मनोजकुमार की माता कांकूदेवी यानि वादीयांगण की भाभी होने से प्रतिवादी संख्या 01(ए,बी) के पति व उनकी सासु/दादी की नियत में खोट आ जाने से उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीयांगण प्रत्येंक का 1/4 – 1/4 हक व हिस्सा बाय बर्थ होने के बावजूद मृतवफी मनोजकुमार ने उसकी माता कांकूदेवी से मिलकर वादीयांगण के हक व हिस्से की भूमि कानून से विपरित जाकर पूरी की पूरी आराजी मृतवफी मनोजकुमार के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी जबकि ऐसा करने का मृतवफी मनोज कुमार व अन्य को कोई विधिक अधिकार न तो था एवं न ही है। वादीयांगण के मृतवफी पिता छोगा आज से करीब 24 वर्ष पूर्व फौत हो चुके है तथा उनकी फौतेदगी के पश्चात् वादीयागण के हिस्से की भूमि पर लगातार काश्त व कब्जा वादीयांगण का चला आ रहा है तथा वादीयागण शादी के पश्चात् ग्राम हाडेतर, टीटोप व अरणाय में हमारा आधोचार होने से हम हमारी उक्त पैतृक सम्पति की आराजी में काश्त के वक्त उक्त आराजी में काश्त आदी आकर करती है तथा समय समय पर उपरोक्त आराजी में हमारे हिस्से की भूमि में देखरेख सारसंभाल तथा खेत की बाड व अन्य मरम्मत आदी करती रहती है तथा उक्त आराजी मृतवफी मनोजकुमार ने उसकी माता कांकूदेवी से मिलकर हमारे हक व हिस्से की भूमि को हडप करने की नियत से राजस्व एजेंसी से मिलकर उनके अकेले के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी जिसकी जानकारी वादीयांगण को पूर्व में नहीं थी किन्तु राज्य सरकार द्वारा किसानो को समय समय पर मुआवजा राशि से लाभान्वित करने पर किन्तु वादीयांगण को हमारे हक आराजी में आज दिन तक मुआवजा राशि नहीं मिलने से आज से करीब 15 रोज पूर्व वादीगण हल्का पटवारी से तहकीकात की तो हल्का पटवारी ने वादीयांगण को अवगत करवाया कि उक्त आराजी में आप खातेदारी दर्ज न होकर उक्त आराजी पूरी की पूरी प्रतिवादी संख्या 01(ए,बी) के पति/पिता मनोजकुमार के नाम दर्ज है जिस पर वादीयांगण ने उक्त आराजी में हमारे हक व हिस्से की भूमि हमारे नाम खातेदारी दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 (ए) को निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 01(ए) ने वादीयांगण को ऐलानियां धमकियां दी कि उक्त आराजी पूरी की पूरी मेरे पति के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा मेरे पति का स्वर्गवास हो जाने से अब उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01(ए,बी) का अधिकार होने से मैं उक्त आराजी की हमारे नाम खातेदारी दर्ज करवाकर तुम्हारे हक व हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

व कब्जे काश्त वाली भूमि किसी अजनबी व्यक्तियांन को बैचान कर तुम्हे मौके से बेदखल करवा दूंगी। वादग्रस्त आराजी वादीयांगण की पैतृक सम्पति होने से तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीयागण प्रत्येंक का 1/4–1/4 हिस्से पर लगातार हमारे पिता की फौतेदगी के पश्चात् काश्त व कब्जा चला आ रहा है किन्तु मृतवफी मनोजकुमार व उकसी माता कांकूदेवी ने उक्त आराजी राजस्व एजेंसी से मिलकर उनके अकेले के नाम कानून से विपरित जाकर खातेदारी दर्ज करवा दी तथा प्रतिवादी संख्या 01(ए) अब उक्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 01(ए,बी) के नाम खातेदारी दर्ज करवाकर वादीयांगण के हक, हिस्से व कब्जे काश्त वाली भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान करने पर आमदा होने पर वादीयांगण द्वारा वाद पेश करने की नौबत पैदा हुइ है। अन्त में वादीयांगण की निम्न इस्तदुआ चाही गई कि वादग्रस्त आराजी में वादीयांगण प्रत्येंक का 1/4–1/4–1/4 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकारी के तहत बाय बर्थ हक निहित होने से खातेदारी पाने की अधिकारी है तथा वादीयांगण के 1/4–1/4–1/4 हिस्से की आराजी में प्रतिवादीगण दखलअंदाजी नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार है।

2. वादीयागण की ओर से पेश वाद कार्यालय टिप्पणी बाद वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील बावजूद अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई –

3. **तनकी संख्या 01**:– आया मौजा डांगरा के खेत खसरा संख्या 127 रकबा 1.61 हैक्टर, खसरा संख्या 232 रकबा 1.63 हैक्टर तथा मौजा रावतसर के खेत खसरा संख्या 837 रकबा 1.63 हैक्टर कुल रकबा 4.87 हैक्टर भूमि वादीयांगण की पैतृक सम्पति होने से उक्त आराजी में प्रत्येंक वादीयांगण का 1/4–1/4 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बाय बर्थ हक निहित होने से वादीयांगण प्रत्येंक 1/4–1/4 हिस्से की खातेदारी डिक्री पाने के हकदार है ? जिम्मे वादीयागण

**तनकी संख्या 02**:– आया उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीयांगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के हकदार है ? – जिम्मे वादीयागण

**तनकी संख्या 03**– अन्य दादरसी ? – जिम्मे वादीयागण

4. उपरोक्त तनकीयात कायम की गई, तत्पश्चात् वादीयांगण की ओर से प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू–1 बादली, पी. डब्ल्यू–2 पारसमल, पी.डब्लयू–3 प्रवीण कुमार के बयान कलमबद्ध करवाये गयें तथा वादीयांगण द्वारा अपनी साक्ष्य बंद की गई। प्रकरण में वकील वादीयांगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई, विद्वान अधिवक्ता वादीयांगण ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुयें बहस में निवेदन किया कि वादीयांगण एवं प्रतिवादी संख्या 01(अ–ए,बी) की पुश्तैनी भूमि मौजा डांगरा के पुराना खेत खसरा संख्या 174 रकबा 09 बीघा 19 बीस्वा जिसके नवीन खेत खसरा संख्या 127 रकबा 1.61 हैक्टर व पुराना खेत खसरा संख्या 32 रकबा 34 बीघा 06 बीस्वा जिसके नवीन खेत खसरा संख्या 232 रकबा 1.63 हैक्टर व अन्य खसरा नम्बरान तथा ग्राम रावतसर के पुराना खेत खसरा संख्या 470 रकबा 10 बीघा 02 बीस्वा जिसके नवीन खेत खसरा संख्या 837 रकबा 1.63 हैक्टर कुल रकबा 4.87 हैक्टर के आयें हुयें है जो पूर्व में वादीयांगण के पिता छोगा वल्द भीकाजी के नाम की खातेदारी दर्ज थी तथा विद्वान अधिवक्ता वादीयांगण ने मृतवफी छोगा की वृक्ष वंशावली की ओर से ध्यान आकर्षित करवाते हुये बहस में निवेदन किया कि वाद में दर्शित वृक्ष वंशावली के अनुसार वादीयांगण तीनों मृतवफी छोगा की पुत्रीया है तथा प्रतिवादी संख्या 01(अ–ए,ब) छोगा के मृतवफी गोदपुत्र मनोज कुमार के वारिसारान है इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीयांगण प्रत्येंक का हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादीयांगण मृतवफी छोगा की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारीगण होने से वादीयांगण प्रत्येंक का उक्त आराजी में 1/4–1/4 हिस्सा कानूनन बनता है किन्तु छोगा की फौतेदगी के पश्चात् घर में कर्ता–हर्ता मनोजकुमार की माता कांकूदेवी यानि वादीयांगण की भाभी होने से उसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

नियत में खोट आ गई तथा उक्त आराजी राजस्व एजेंसी से मिलकर मात्र प्रतिवादी संख्या 01(अ–ए,बी) के पति/पिता मनोज कुमार के नाम खातेदारी कानून से विपरित करवा दी जो गलत है जबकि वादग्रस्त आराजी पर वादीयांगण प्रत्येंक का 1/4–1/4 हिस्सा पर काश्त व कब्जा है तथा वादीयांगण समय समय पर आकर उक्त आराजी में काश्त आदी करती रहती है। ऐसी सूरत में उक्त आराजी में वादीयांगण प्रत्येंक कानूनन 1/4–1/4 हिस्से की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी होने से वादीयांगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर खातेदारी की डिक्री सादिर की जावें। वादीयांगण की ओर से प्रकरण में वादीयां वादली देवी ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने सशपथ बयानों में बताया कि वादग्रस्त आराजी हम वादीयांगण की पैतृक सम्पति है तथा हम वादीयांगण मृतवफी छोगा की जायंदा पुत्रीयां है तथा छोगा के कोई जांयदा पुत्र नहीं होने से छोगा ने अपने जीतेजी मृतवफी मनोज कुमार को गोद पुत्र लिया था जो छोगा के भाई बंशीलाल का पुत्र था जो फौत हो चुका है तथा प्रतिवादी ललितादेवी जो मृतवफी मनोज कुमार की धर्मपत्नि है तथा प्रतिवादी अजीत जो मनोजकुमार का नाबांलिग पुत्र है, इस प्रकार उक्त आराजी में हम वादीयांगण प्रत्येंक का 1/4–1/4 हिस्सा कानूनन बनता है। इस संबंध में वादीयांगण ने जमाबंदी संवत् 2055–58 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत् 2059–2062 प्रदर्श – 2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –3, वर्तमान जमाबंदी मौजा डांगरा प्रदर्श –4, जमाबंदी मौजा रावतसर प्रदर्श–5 पेश कर प्रदर्शित करवायें गये। प्रकरण में वादीगण की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू–2 पारसमल ने भी न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ बयानों में बताया कि वादीयांगण छोगा की जायंदा पुत्रीयां है तथा छोगा के जांयदा पुत्र नहीं होने से मेरे सगे भाई मनोज कुमार को गोद लिया था इस प्रकार वादीयांगण प्रत्येंक का उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/4–1/4 हिस्सा कानूनन बनता है तथा 1/4–1/4 हिस्से पर वादीयांगण का मौके पर काश्त कब्जा है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्लयू–3 प्रवीण कुमार ने भी वादीयांगण के वाद का समर्थन करते हुयें वादीयांगण को मृतवफी छोगा की पुत्रीयां होना व वादग्रस्त आराजी में प्रत्येंक वादीयांगण का 1/4–1/4 हिस्से पर काश्त कब्जा होना अपने सशपथ पत्र के बयानों में जाहिर किया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांति अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अतः हस्तगत प्रकरण में तनकीयात अनुसार निर्णय इस प्रकार है कि :–

5. <u>तनकी संख्या 01</u>– आया मौजा डांगरा के खेत खसरा संख्या 127 रकबा 1.61 हैक्टर, खसरा संख्या 32 रकबा 1.63 हैक्टर तथा मौजा रावतसर के खेत खसरा संख्या 837 रकबा 1.63 हैक्टर कुल रकबा 4.87 हैक्टर भूमि वादीयांगण की पैतृक सम्पति होने से उक्त आराजी में प्रत्येंक वादीयांगण का 1/4–1/4 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बाय बर्थ हक निहित होने से वादीयांगण प्रत्येंक 1/4–1/4 हिस्से की खातेदारी डिक्री पाने के हकदार है ? – उक्त तनकी सिद्ध करने का जिम्मा वादीयांगण पर है इस संबंध में वादीयां बादली ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने सशपथ बयानों में बताया कि वादीयां बादली, सेजी व सीता तीनों मृतवफी छोगा वल्द भीकाजी की जायंदा पुत्रीयां है तथा प्रतिवादी संख्या 01(अ–ए,बी) जो हमारे गोद भाई मृतवफी मनोजकुमार के उत्तराधिकारी है तथा हमारे पिता छोगा की मृत्यु के पश्चात् घर में कर्ता धर्ता मनोजकुमार की जन्मदाता माता कांकूदेवी होने से तथा उसकी नियत में खोट आ जाने से वादग्रस्त आराजी हमारी पैतृक सम्पति होते हुये भी हम वादीयांगण मृतवफी छोगा की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के बावजूद उक्त वादग्रस्त आराजी केवल मनोजकुमार के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी जबकि हम वादीयांगण प्रत्येंक उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/4–1/4 हिस्से की खातेदारी पाने की अधिकारी है। वादीयांगण की ओर से जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 प्रदर्श–1 पेश की जिसमें खेत खसरा संख्या 127, 232, 837 जुमले रकबा 4.87 हैक्टर भूमि छोगा वल्द भीका कौम मेघवाल के नाम दर्ज होना साबित है तथा जमाबंदी प्रदर्श –2 पेश की जिसमें खातेदार मात्र मनोजकुमार वल्द बंशीलाल गोद छोगा, मनोज कुमार नाबालिंग की वली माता कांकूदेवी बंशीलाल बतौर खातेदार दर्ज होना साबित है। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:22 IST
Reason: SelfAttested

वाद का प्रतिकार नहीं किया गया है। इसं संबंध में विद्धान अधिवक्ता वादीयांगण ने डी.एन.जे. 2000—2001 राज. Supp पेज संख्या 245 चौकसी एण्ड कम्पनी बनाम बंशीराम करतारचन्द की नजीरात पेश की, उक्त नजीरात का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया उक्त नजीरात में हस्तगत प्रकरण में चस्पा होती है चूंकि हस्तगत वाद में भी प्रतिवादीगण द्वारा वाद का किसी भी प्रकार से प्रतिकार नहीं किया गया है तथा वादग्रस्त आराजी वादीयांगण की पुश्तैनी सम्पति होना साबित है ऐसी सूरत में तनकी संख्या 01 वादीयांगण अपने पक्ष में सिद्ध करने में पूर्णतया सफल रहने से वादीयांगण प्रत्येंक उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/4—1/4 हिस्से की खातेदारी पाने की हकदार होने से तनकी संख्या 01 वादीयांगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02— आया उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीयांगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के हकदार है ? — उक्त तनकी भी सिद्ध करने का जिम्मा वादीयागण पर होने से तनकी संख्या 01 वादीयांगण के पक्ष में निर्णित होने से तथा वादग्रस्त आराजी पर वादीयां व वादीयां के गवाह पी.डब्लयू—02 व 03 द्वारा वादीयांगण प्रत्येंक का 1/4—1/4 हिस्से पर काश्त कब्जा होना साबित करने से वादीयांगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार होने से तनकी संख्या 02 वादीयांगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीयागण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

## —:आदेशः—

फलतः मौजा डांगरा तहसील सांचोर के खेत खसरा संख्या 127 रकबा 1.61 हैक्टर तथा खेत खसरा संख्या 232 रकबा 1.63 हैक्टर व मौजा रावतसर तहसील सांचोर के खेत खसरा संख्या 837 रकबा 1.63 हैक्टर जुमले रकबा 4.87 हैक्टर भूमि में वादीयागण सेजी, बादली, सीता प्रत्येंक के नाम 1/4—1/4—1/4 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाती है। उपरोक्तानुसार वादीयागण का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार सांचोर को आदेशित किया जाता है तथा वादीयांगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण संख्या 01(अ—ए) के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 01(अ—ए) वादीयागण प्रत्येंक 1/4—1/4 हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखलअंदाजी करे तथा न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें तथा डिक्री पर्चा जारी हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

निर्णय आज दिनांक 1.08.2025 को मेरे द्वारा न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

# डिकी व मुकदमें इब्तदाई
## (आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)
## (civil procedure code, Appendix "D"-1)
## अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर
## पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

**अनवान**

**01– मृतक छोगा वल्द भीकाजी जाति मेघवाल निवासी डांगरा के कायम मुकाम व वारिसारान :–**

अ– सेजी पुत्री छोगाजी धर्मपत्नि मगारामजी जाति मेघवाल निवासी हाडेतर।

ब– बादली पुत्री छोगाजी धर्मपत्नि मफाराम जाति मेघवाल निवासी टिटोप।

स– सीता पुत्री छोगाजी धर्मपत्नि घमण्डारामजी जाति मेघवाल निवासी अरणाय तहसील सांचोर जिला जालोर।

**वादीयागण.......**

01– मृतवफी छोगा पुत्र भीका के कायम मुकाम व वारिसारान :–

अ– मृतक मनोज कुमार पुत्र बंशीलाल गोदपुत्र छोगाजी जाति मेघवाल निवासी डांगरा के कायम मुकाम व वारिसारानः–

अ–ए– ललीतादेवी बैवा मनोजकुमार जाति मेघवाल निवासी डांगरा ।

अ–बी– अजीत पुत्र मनोजकुमार (नाबालिंग) जरियें कुदरती वलिया माता ललीतादेवी पत्नि मनोज कुमार जाति मेघवाल निवासी डांगरा तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.) ।

02– व्यवस्थापक यूको बैंक शाखा सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर।

03– भूमिधारी तहसीलदार सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर (राज.) ।

**प्रतिवादीगण.........**

**अन्तर्गत धारा 40,88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 29/2025**

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीयागण की ओर से वकील श्री भगवती प्रसाद उपस्थित, प्रतिवादी सं0 1 से 3 एकपक्षीय मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा डांगरा तहसील सांचोर के खेत खसरा संख्या 127 रकबा 1.61 हैक्टर तथा खेत खसरा संख्या 232 रकबा 1.63 हैक्टर व मौजा रावतसर तहसील सांचोर के खेत खसरा संख्या 837 रकबा 1.63 हैक्टर जुमले रकबा 4.87 हैक्टर भूमि में वादीयागण सेजी, बादली, सीता प्रत्येंक के नाम 1/4 1/4 1/4 का खातेदार घोषित की जाती है। उपरोक्तानुसार वादीयागण का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार सांचोर को आदेशित किया जाता है तथा वादीयांगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण संख्या 01(अ–ए) के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 01(अ–ए) वादीयागण प्रत्येंक 1/4 1/4 हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखलअंदाजी करे तथा न ही किसी अन्य से करावें।

उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04.08.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दयलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | 4 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2 | 00 | जवाबदावा | 0 | 00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 0 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 00 |
| महनताना वकील | 0 | 00 | महनताना वकील | 0 | 00 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 00 | खर्चा गवाहान | 0 | 00 |
| फीस कमीश्नर | 0 | 00 | फीस कमीश्नर | 0 | 00 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 00 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 00 |
| मुतफरिक | 0 | 00 | मुतफरिक | 0 | 00 |
| मौजाना | 6 | 00 | मौजाना | 0 | 00 |

सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:22 IST
Reason: SelfAttested